

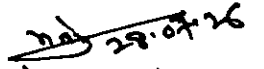
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: आदेश ::—

संख्या—17/स्था0—03—11/2026, 13646/सा0प्र0, पटना—15, दिनांक—28/07/2026

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—1274 दिनांक—27.07.2026 के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं0—420 दिनांक—15.07.2026 एवं विभागीय आदेश सं0—12722 दिनांक—15.07.2026 द्वारा क्रमशः 78 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं 78 प्रशाखा पदाधिकारियों की बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में दिनांक—18.07.2026 से 28.07.2026 तक की गयी प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक—30.07.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

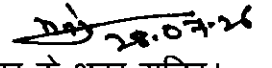

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—17/स्था0—03—11/2026, 13646/सा0प्र0, पटना—15, दिनांक—28/07/2026

प्रतिलिपि:—सभी संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक/वरीय प्रभारी (प्रशाखा—04), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि कार्य समाप्ति के उपरांत अपने विभाग/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—17/स्था0—03—11/2026, 13646/सा0प्र0, पटना—15, दिनांक—28/07/2026

प्रतिलिपि:— सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—127/स0को0 दिनांक—09.07.2026/सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—1274 दिनांक—27.07.2026 के प्रसंग में/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।